बरुण मित्रा भा.प्र.से.
Barun Mitra, IAS

सचिव
न्याय विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
SECRETARY
DEPARTMENT OF JUSTICE
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
GOVERNMENT OF INDIA

अर्ध शासकीय पत्रांक 15011/35/2021-न्याय (एयू) दिनांक 11 जून, 2021

मैं आपको न्याय विभाग से संबंधित मई, 2021 माह की महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत कराना चाहूँगा ।

1. उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति:

दिनांक 24.05.2021 की अधिसूचना द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई ।

2. उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति:

क्रमशः दिनांक 24.05.2021, 25.05.2021 और 27.05.2021 की अधिसूचना के माध्यम से विभिन्न उच्च न्यायालयों में सोलह अर्थात उत्तराखंड (01), केरल (05) और बॉम्बे (10) कुल सोलह अपर न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था ।

3. उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति :

दिनांक 24.05.2021 की अधिसूचना के माध्यम से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की गई ।

4. बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना :

जियो-टैगिंग सहित तैयारियों और कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा के लिए 10, 11, 12, 13 और 17 मई, 2021 को सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल और सभी राज्य सरकारों के कानून/गृह सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक आयोजित की गई थी।

5. फास्ट ट्रैक विशेष स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी):

मामले के निपटान की स्थिति और फंड जारी करने की संशोधित प्रक्रिया सहित एफटीएससी के संचालन में हुई प्रगति के संबंध में सभी राज्य सरकारों के विधि सचिव और सभी उच्च न्यायालयों के

रजिस्ट्रार जनरल के साथ दिनांक 28/5/2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।

6. ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना का चरण II:

- फंड के उपयोग सहित ई-कोर्ट परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए दिनांक 21.05.2021 को उच्च न्यायालयों के साथ वीसी पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी ।

- न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिए एंड्रॉइड आधारित जस्टिस मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रदान किया गया इलेक्ट्रॉनिक केस प्रबंधन टूल अब आईओएस पर लॉन्च किया गया है। इससे न्यायिक अधिकारियों की सुविधा के अलावा अदालत प्रबंधन में दक्षता बढ़ेगी।

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमेटी ने अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए मॉडल नियम तैयार किए हैं और अंतिम रूप देने से पहले सभी उच्च न्यायालयों को भेज दिए हैं। यह नागरिकों के लिए सार्वजनिक हित के मामलों में अधिक पारदर्शिता, समावेशिता और वास्तविक समय के आधार पर कार्यवाही तक पहुंच को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम होने जा रहा है।

- ई-कोर्ट सर्विसेज ऐप का उपयोग वर्तमान में 58 लाख से अधिक अधिवक्ताओं द्वारा किया जा रहा है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई समिति ने अब हिंदी और अंग्रेजी सहित 14 क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल एप्लिकेशन के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल जारी किया है। इसके अलावा, ई-कोर्ट पर अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण देने के एक भाग के रूप में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 9400 अधिवक्ताओं को शामिल करते हुए एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

7. व्यापार करने में आसानी:

- न्याय विभाग ने सभी उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अपलोड करने के लिए अपनी वेबसाइट पर वाणिज्यिक न्यायालयों से जुड़े मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्रों पर डेटा एकत्र करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है।

- न्याय विभाग द्वारा सभी उच्च न्यायालयों से राज्य सरकारों को भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण डेटाबेस के साथ एनजेडीजी और ई-कोर्ट के एकीकरण को सक्षम करने के लिए मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। पहले से ही 8 राज्यों को अपने संबंधित उच्च न्यायालयों से आवश्यक अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

8. टेली-लॉ:

94,364 व्यक्तियों को कानूनी सलाह प्रदान की गई जिसमें 32,579 महिलाएं, 28,892 अनुसूचित जाति, 22,143 अनुसूचित जनजाति और 24,366 अन्य पिछड़ा वर्ग लाभार्थी शामिल थे । 31 मई, 2021

तक कुल 8,83,180 सलाह दी गईं, 15 राज्यों में 65 प्रशिक्षण और अनुवर्ती सत्र आयोजित किए गए, जिसमें 3,523 वीएलईएस/पीएलवी ने भाग लिया ।

9. न्याय बंधु (प्रो-बोनो लीगल सर्विसेज):

न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन/वेब पोर्टल पर 160 नए वकीलों ने पंजीकरण कराया, अब तक कुल 2739 वकीलों ने इस कार्यक्रम के तहत पंजीकरण कराया है।

10. उत्तर पूर्व और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में न्याय तक पहुंच:

जम्मू एवं कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने चयनित कानूनों पर 19 ऑनलाइन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे 5,090 व्यक्तियों को लाभ हुआ और 2,209 व्यक्तियों को कोविड-19 राहत सेवाएं प्रदान की गईं ।

11 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा):

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक परियोजना 'शिशु सदायव त्वया सह' (उन बच्चों के लिए, जिन्होंने अपने माता-पिता या एकमात्र माता-पिता दोनों को महामारी कोविड-19 के कारण खो दिया है) शुरू की, जिसका उद्देश्य कोविड में अनाथ हुए बच्चों की पहचान करना और केंद्र/राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत उन्हें उनके अधिकार दिलाने में मदद करना है

12. एसीसी निर्देशों का अनुपालन न करना :

शून्य

भवदीय,

हस्ताक्षर/-

(बरुण मित्रा)

श्री राजीव गौबा
कैबिनेट सचिव,
कैबिनेट सचिवालय,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली।

प्रति:

माननीय विधि एवं न्यायमंत्री के निजी सचिव, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

(बरुण मित्रा)